संख्या-17/2242/26-3-2014-4(24)/2013-टी0सी0

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2014

विषयः दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन प्रार्थना पत्रों का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ में स्क्रूटनी के सम्बन्ध में।

महोदय,

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ में परीक्षण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली-2014 तथा शासनादेश संख्या-126/64-2-2014 दिनांक 20.02.2014 द्वारा बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। उपरोक्त नियमावली में यह प्राविधान है कि आय प्रमाण पत्र केवल एक बार अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक वर्ष से अधिक के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि वर्ष 2013-14 में आनलाइन आवेदन करने वाले कई छात्र/छात्राओं के द्वारा वर्ष 2014-15 में कम धनराशि का आय प्रमाण पत्र तैयार कराकर नवीनीकरण के स्थान पर नया आवेदन भरा गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली-2014 तथा शासनादेश संख्या-126/64-2-2014 दिनांक 20.02.2014 में परीक्षण हेतु अंकित बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जाएगा :-

i. शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमांक, शिक्षा बोर्ड एवं वर्ष का मिलान वर्ष 2014-15 में नये आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं के विवरण से करा लिया जाए। वर्ष 2014-15 के नवीनीकरण वाले छात्रों द्वारा परिवार की आय की धनराशि में परिवर्तन कर नये आय प्रमाण पत्र की कम धनराशि के अनुसार यदि नया आवेदन पत्र वर्ष 2014-15 में भरा गया है, तो उनको संदेहास्पद डाटा में अलग कर दिया जाए।

ii. नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सर्वप्रथम नवीनीकरण के छात्रों को धनराशि अन्तरित की जाएगी। उनका डाटा प्रोसेस कराकर धनराशि के अन्तरण हेतु नियमावली में वर्णित प्रक्रिया व रीति से अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तदनुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि बिल्कुल नये आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को नियमावली में वर्णित प्रक्रिया व रीति से किया जाए। **नवीनकरण वाले छात्र/छात्राएं, जिन्होंने नया आवेदन किया है, इसमें शामिल नहीं होंगे।**

iii. नये आवेदकों को धनराशि वितरण के पश्चात यदि धनराशि अवशेष रहती है तो आय प्रमाण पत्र में कम धनराशि के आधार पर संदेहास्पद डाटा में अन्तरित छात्र/छात्राओं को धनराशि नियमावली में वर्णित प्रक्रिया व रीति से प्रोसेस कराकर अन्तरित की जाएगी।

3. दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों के परीक्षण के समय निम्नलिखित प्रकरणों में छात्र/छात्राओं के डाटा को प्राथमिक दृष्टि में संदेहास्पद डाटा में अन्तरित कर विस्तृत जांच हेतु जनपद के लागिन पर उपलब्ध करा दिया जाए। जॉचोपरान्त सही पाये जाने पर ही नियमावली में वर्णित प्रक्रिया से धनराशि का अन्तरण किया जाएगा।

1. जिन छात्र/छात्राओं के पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं वर्तमान अध्ययनरत वर्ष में दो वर्ष से अधिक का अन्तराल (Gap) है।
2. जिन छात्र/छात्राओं के हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के वर्ष में एवं स्नातक, परास्नातक अथवा एक वर्ष से अधिक अवधि वाले डिप्लोमा कोर्सेस(जिनमें न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट है) में यदि दो वर्ष से कम अवधि दर्शाकर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है।
3. जिन छात्र/छात्राओं के आवेदन फार्म में जमा की गयी फीस रसीद संख्या व धनराशि शून्य भरी गयी है तथा नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क कालम में भी शून्य भरा गया है(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोडकर)।
4. जिन पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं के द्वारा आवेदन फार्म में फीस भरी गयी परन्तु विभाग के द्वारा मास्टर डाटा में उक्त पाठ्यक्रम की कोई धनराशि नहीं भरी गयी है। इसका तात्पर्य वह पाठयक्रम सम्बन्धित शिक्षण संस्थान में संचालित नहीं है।
5. जिन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन फार्म में नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क कालम में धनराशि भरी गयी, परन्तु फीस की रसीद संख्या व धनराशि नहीं भरी गयी है। इसका तात्पर्य छात्र की प्रमाणिकता संदिग्ध है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोडकर)।
6. जिन छात्र/छात्राओं का नाम/पिता का नाम/छात्र की जन्मतिथि/शिक्षण संस्थान आदि एक समान है।
7. जिन छात्र/छात्राओं के द्वारा आवेदन पत्र में हाईस्कूल के अनुक्रमांक, बैंक खाता संख्या, जाति/निवास/आय प्रमाण पत्र आदि में 0/00/111/2222/1111 आदि फर्जी संख्यायें भरी गयी हैं।
8. जिन छात्र/छात्राओं के द्वारा आवेदन पत्र में जाति/आय/निवास प्रमाण पत्रों के कालम में 11 अंक से कम संख्या भरी गयी है।

4. जिन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन फार्म में जमा की गयी फीस की रसीद संख्या एवं धनराशि भरी गयी है तथा नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क के कालम में धनराशि नहीं भरी गयी

http://shasanadesh.up.nic.in

है ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम हेतु मास्टर डाटा में भरी गयी फीस की धनराशि को लिया जाय।

5. मास्टर डाटाबेस से प्रत्येक शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की स्वीकृत सीटों का मिलान उसमें आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य एवं अल्पसंख्यक वर्गो के छात्र/छात्राओं की संख्या से करा लिया जाय।

6. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिलाधिकारी अथवा छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के संज्ञान में यदि किसी छात्र का विवरण गलत/फर्जी/त्रुटिपूर्ण होना आता है तो जिलाधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 से ऐसे डाटा को ब्लाक (BLOCK) करने का अनुरोध करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा अनुरोध धनराशि अन्तरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व प्रत्येक दशा में निदेशालय को उपलब्ध हो जाय। जिलाधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का अनुरोध निदेशालय को प्राप्त होने पर निदेशक ऐसे छात्रों को एन0आई0सी0 में डाटा प्रोसेसिंग के समय अथवा बेनिफिशियरी/ट्रांजेक्शन फाइल की अपलोडिंग से पूर्व डाटा ब्लाक (BLOCK) कराना सुनिश्चित करेंगे ।

7. जिन छात्र/छात्राओं का विवरण गलत/फर्जी/त्रुटिपूर्ण ढंग से किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित कर दिया गया है तथा उक्त छात्र/छात्रा का सही विवरण उसके वास्तविक शिक्षण संस्थान से अब अग्रसारित नहीं हो रहा है, ऐसे समस्त संज्ञानित प्रकरणों में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की रिपोर्ट पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ से शिक्षण संस्थान द्वारा गलत/फर्जी/त्रुटिपूर्ण ढंग से अग्रसारित डाटा को ब्लाक (BLOCK) कराते हुए वास्तविक शिक्षण संस्थान के डाटा को इनेबिल्ड (ENABLED) करा दिया जाए।

8. किन्ही दो प्रदेशों के शिक्षा परिषदों के हाईस्कूल के अनुक्रमांक एवं वर्ष एक समान होने की दशा में निदेशक द्वारा आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर दोनों छात्रों को अनुमति प्रदान किया जायेगा।

9. जिन छात्र/छात्राओं का डाटा बिना किसी समुचित कारण के शिक्षण संस्थाओं या जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाता है, ऐसे प्रकरणों में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति के अनुरोध करने पर निदेशक सम्बन्धित छात्र/छात्राओं का डाटा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के निर्णय हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. निदेशक, समाज कल्याण द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ में डाटा के प्रोसेसिंग हेतु तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित कर अपनी देख-रेख में निर्धारित समयावधि में परीक्षण/मिलान आदि कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें।

11. दशमोत्तर छात्रवृत्ति के मास्टर डाटाबेस में त्रुटिवश एक ही शिक्षण संस्थान का नाम यदि एक से अधिक बार अंकित है तथा उनमें छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया गया है तो ऐसी दोनो शिक्षण संस्थानों से एक पासवर्ड एवं लागिन आईडी के द्वारा छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन को अग्रसारित करा लिया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

12. दशमोत्तर छात्रवृत्ति के मास्टर डाटाबेस में शामिल शिक्षण संस्थानों में यदि छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया गया है परन्तु शिक्षण संस्थानों द्वारा अपना प्रोफाइल नहीं भरा गया है जिसके कारण छात्र/छात्राओं का आनलाइन आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं हो पा रहा है, तो जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर निदेशक ऐसे शिक्षण संस्थानों से प्रोफाइल भरवाकर छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र को अग्रसारित करा लेंगे।

13. दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में यह स्पष्ट प्राविधानित है कि छात्र/छात्राओं के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालयों में अध्ययरत् होते हुए ऐसी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन का सत्यापन/अग्रसारण करने पर उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने एवं शिक्षण संस्थान को काली सूची में डालने तथा मान्यता निरस्त कराने की कार्यवाही की जायेगी। जिन शिक्षण संस्थाओं के द्वारा फर्जी तरीके से छात्रों के विवरण का सत्यापन एवं अग्रसारण किया गया है तथा अब सही शिक्षण संस्थान से वास्तविक छात्र के विवरण का अग्रसारण नहीं हो रहा है, ऐसे प्रकरणों की जिलाधिकारी जांच कराकर फर्जी ढंग से अग्रसारण करने वाले संस्थानों के खिलाफ तत्काल यथोचित कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करेंगे।

14. यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवेदन-कर्ता छात्र ने पूर्व में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का उपभोग नहीं किया है। इस प्रयोजनार्थ एन0आई0सी0 के स्तर पर वर्ष 2007 से उपलब्ध डिजिटल डाटा का उपयोग किया जायेगा।

भवदीय,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्याः 2242(1)/26-3-2014 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य इकाई, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त उपनिदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in